



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274166
CG-DL-E-06072026-274166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3420]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3420]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3555(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1136(E) तारीख 03/03/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के छोटाउदेपुर जिले में NH56 के कि.मी. 94.03 से कि.मी. 132.25 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21/03/2026 को “थे टाइम्स ओफ इंडिया [इंग्लिश]”, 21/03/2026 को “गुजरात समाचार” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के छोटाउदेपुर जिले में NH56 के कि.मी. 94.03 से कि.मी.132.25 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: छोटाउदेपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बोडेली					
गांव का नाम: धरोलीया (स)					
1	२१४ पी २	निजी	एग्रीकल्चर	0.3014	कोली रमतुबेन कंचनभाई, कोली हसमुखभाई कंचनभाई, कोली कैलाशबेन किशनभाई, कोली पारुलबेन किशनभाई एंस्.वी.ए. कैलाशबेन, कोली भविनभाई किशनभाई एंस्.वी.ए. कैलाशबेन 214 P 2
2	214 पी 3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0736	कोली रमणभाई गमकाभाई, कोली राजूभाई चंदूभाई 214 P 3
गांव का नाम: तांदलजा					
3	१०५४	निजी	एग्रीकल्चर	0.5252	पटेल निर्मलशरण प्रीतमदास, देसाई शरणकुमार दिलीपभाई 1054
4	७७०	निजी	एग्रीकल्चर	0.2074	पटेल नर्मदाबेन गोकलभाई, पटेल विनोदभाई गोकलभाई, पटेल कपिलाबेन गोकलभाई, पटेल भाविकाबेन प्रवीणभाई, पटेल संचाबेन मधुसूदनभाई, पटेल स्नेहाबेन मधुसूदनभाई, पटेल मार्गीबेन मधुसूदनभाई, पटेल देवमभाई मधुसूदनभाई 770
5	८०२	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3761	मारुती एंटरप्राइजेज के भागीदार (हेच्) 1.केतनभाई घनश्यामभाई तेजानी (हेच्) 2.विजयभाई

					वल्लभभाई सोलंकी 802
6	८१९	निजी	एग्रीकल्चर	0.1626	पटेल विशाखाबेन दिनकरभाई 819
गांव का नाम: कोसिन्द्रा					
7	५५५	निजी	एग्रीकल्चर	0.0536	पटेल हसमुखभाई रणछोड़भाई 555
Total				1.6999	

[फा. सं. Bodeli-Vapi-2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3555(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway, S.O.1136(E) Date.03.03.2026 Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) Issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said Notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of N.H-56 on the stretch of land from Km 94+03 to Km 132+250 in the district of CHHOTAUDEPUR in the State of GUJARAT.

And whereas the extract of the said notification S.O.1136(E) dated 03.03.2026 was published in both "The Times of India" and "GUJARAT SAMACHAR" on 21.03.2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government :

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose:

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land Specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be Acquired with or without Structure, on National Highway 56 falling in the Stretch of Land from (Km. 94+03 to Km. 132+250) in the District of Chhotaudepur in the State of Gujarat

State: GUJARAT			District: CHHOTAUDEPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: BODELI					
Village: Dharolia (S)					
1	214 P 2	Private	Agriculture	0.3014	Koli Ramtuben Kanchanbhai, Koli Hasmukhbhai Kanchanbhai, Koli Kailashben Kishanbhai, Koli Parulben Kishanbhai S.V.A. Kailashben, Koli

					Bhavinbhai Kishanbhai S.V.A. Kailashben 214 P 2
2	214 P 3	Private	Agriculture	0.0736	Koli Ramanbhai Gamkabhai, Koli Rajubhai Chandubhai 214 P 3
Village: Tandalja					
3	1054	Private	Agriculture	0.5252	Patel Nirmalsharan Pritamdas, Desai Sharankumar Dilipbhai 1054
4	770	Private	Agriculture	0.2074	Patel Narmadaben Gokalbhai, Patel Vinodbhai Gokalbhai, Patel Kapilaben Gokalbhai, Patel Bhavikaben Pravinbhai, Patel Sandyaben Madhusudanbhai, Patel Snehaben Madhusudanbhai, Patel Margiben Madhusudanbhai, Patel Devambhai Madhusudanbhai 770
5	802	Private	Non Agriculture	0.3761	Partners of Maruti Enterprises (H) 1.Ketanbhai Ghanshyambhai Tejani (H) 2.Vijaybhai Vallabhbhai Solanki 802
6	819	Private	Agriculture	0.1626	Patel Visakhaben Dinkarbhai 819
Village: Kosindra					
7	555	Private	Agriculture	0.0536	Patel Hasmukhbhai Ranchhodhbhai 555
Total				1.6999	

[F. No. Bodeli-Vapi-2022/3D]
SHAIKH AMINKHAN, Director